

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

संख्या 149/15  
दिनांक 6-10-2015  
निर्णय दिनांक 9-1-19

बडनवान

मन्ना लाल पुत्र कटला जाति बरवा निवासी भवरंग 6 तहसील  
किशनगंज जिला बारा (राज्य)

कटला पुत्र बिलारी लाल जाति बरवा निवासी भवरंग 6 तहसील  
किशनगंज जिला बारा (राज्य)

प्रतिवादी  
वला अर्न्तगत धारा 92 A R.A.

वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 92 A R.A. परिये अश्लिषता S.K. राणा इस आशय का पेश किया कि आराजी खण्ड 102। खंसा 10 की धारा के अन्तर्गत तहसील किशनगंज जिला बारा (राज्य) में अवस्थित है। जिसमें राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी का नाम अंकित है। वाद पत्र में आगे चल कर निवादिन आराजी के नाम से संबोधित किया गया है।

(2) यह कि वादी एव प्रतिवादी आपस में सम्बन्धारेता पुत्र का है। प्रतिवादी के तीन सपुत्र वादी मन्ना लाल, बाबूलाल व आराम हैं पारिवारिक सम्झौते आराजी का मत करने बाबत दिनांक 6.5.2000 को हुआ है जिसके अनुसार बाबूलाल व आराम को 16 की धारा गणनेन के माध्य परवा (हल्का) कड़ी में आधी आधी यानी 8-8 की धारा दे रखी है। तथा निवादिन आराजी वादी के हिस्से में अर्द्ध है।

(3) यह कि प्रतिवादी वादी के हिस्से मुताबिक पारिवारिक

उप खण्ड अधिकारी  
किशनगंज जि. बारा (राजस्थान)

उप खण्ड अधिकारी  
किशनगंज जि. बारा (राजस्थान)

वटवारा आदि विवादित आराजी एकाग्र 1021  
रुग्णा 10 वीचा कुन्दा अंकरगाठ को बेचान करणे पर  
आगादा हे इतमे मू. उधार कर रयुवनेल करवा  
हे तथा मुताबिक वटवारा शर्ती मे काशत करता  
आ रहा हे।

(4) यह कि वडी के पाठ पारिवारिक रजर्वो के बिना  
अन्य आम का साधन नहीं है तथा जिंक 10-8-15  
शामभकरगाठ मे लोगो से जानकारी मिली है  
प्रतिवादी आराजी कचध करने पर आगादा हे  
मे प्रतिवादी द्वारा अपने हितसे मे रजर्वो की  
पर ही हे वडी प्रतिवादी के सिद्ध पारिवारिक  
आराजीयत एवं बिना किसी आवश्यकता के कचध  
के सिद्ध स्वामी निषेधाज्ञा तात करने के अधिकारी

(5) यह कि वडी एवं प्रतिवादी न्यायालय आगत हे  
द्विजाधिकार मे रहते व करेबार करते हे वाद  
एवं क्षेत्राधिकार मे हे।

(6) यह कि वाद कारण जिंक 10-9-15 को प्रति  
वादी विवादित आराजी को बेचान करने की जानकारी  
मिलने पर व मुकाम अतस्य मे उत्पन्न हुका।

(7) यह कि मुस्यारन लगान का 20 गुणा काम  
जाकर उचित न्याय शुरू पर अतिमध्य मंजूर हे।  
अतः वाद मंजूर का निवेदन हे कि वाद वडी  
वडी खिलाडू प्रतिवादी निर्मित किया जाक सिद्धि इस  
की सादर फरमायी जाके दि प्रतिवादी विवादित आराजी  
एवं 1021/11 रकम। 10 वीचा वडिगाठ अंकरगाठ को  
बिचान न करे तथा प्रतिवादी के शान्तिपूर्ण कचध  
करने के अन्त न्यायोचित सहयता जो उचित हो  
को सज्ज की जाके। वडी के वाद पर प्रतिवादी  
समिस्ता भी गई तकरण वडी रजिस्टर किया जाक

उप खण्ड अधिकारी  
किशनगंज जि. बाराँ (राजस्थान)

सतीका की तलबी हेतु नोरीस सम्मन जारी किये-  
 मृत-तिथि को वावजूद सूचना सतीका अनुपस्थित रहने से सतीका अनुपस्थित रहा  
 सतीका अमल में लाई गई। सतीका अनुपस्थित रहा  
 10-1 मन्नालाल के बयान पर सतीका अनुपस्थित रहा  
 10-1 मन्नालाल ने जाहिर किया कि सतीका अनुपस्थित रहा  
 को 16वीं मुक्ति गजरेन के मास की दोनो मंडियों में  
 8-8 बीघा दे दी थी तथा ग्राम भंरगढ़ के मास की  
 10वीं आराजी मेरे पिता ने मुझे दे दी थी तब से ही मे  
 उस जमीन पर काबिज है। सतीका अनुपस्थित रहा  
 पेश नहीं करना चाहते सतीका अनुपस्थित रहा  
 सीपाती है। सतीका अनुपस्थित रहा  
 बल सतीका अनुपस्थित रहा  
 देखाया। पत्रावली का अवलोकन मन्नालाल पत्रावली  
 में उपलब्ध राजपत्र रेकार्ड नम्बर जमाबन्दी सम्मत 2068-71  
 ग्राम भंरगढ़ बरपरा नामा दिनांक 6-5-2010 के निकल के  
 स्पष्ट है कि सतीका अनुपस्थित द्वारा 92A  
 सीका योग्य है।

सतीका अनुपस्थित

सतीका अनुपस्थित द्वारा 92A R.A.  
 सीका अनुपस्थित है एवं इस आदेश की डिक्ली  
 पारित की जाती है कि सतीका अनुपस्थित आराजी  
 एण्ड 102-11 रक्बा 10वीं आराजी भंरगढ़  
 को बयान न करे तथा सतीका अनुपस्थित को शान्तिपूर्वक  
 काशत करने दे। तदनुसार डिक्ली पारित जाती है  
 निर्णय आज सरेडजलास दिनांक 9-1-2019 को  
 सुनाया गया।

*(Signature)*  
 उप खण्ड अधिकारी  
 किशनगंज जि. बारा (राजस्थान)

